कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ,मथुरा।

पत्रांक :– मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/2020–21 दिनांक 20/04/2020

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
   जिला पुरूष/महिला /संयुक्त चिकित्सालय ,वृन्दावन ,मथुरा।
2. समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
   सामु0स्वा0केन्द /प्राथ0स्वा0केन्द जनपद– मथुरा।
3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
   समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद–मथुरा।
4. समस्त सी0एच0ओ0
   समस्त हैल्थ वैलनैस सेंटर मथुरा।

विषय :– सार्वजनिक स्थानो पर पान मसाला/ तम्बाकू ,हुक्का ,चिलम एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबंधित एवं आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश :– 786/तीन–18–06 (9)18 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानो के मुख्यालयों , सरकारी प्रतिष्ठानो एवं स्थानीय कार्यालयो में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादो के प्रयोग पूर्णत प्रतिबंधित किया जा चुका है । के अनुपालन में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2019–20/8375 दिनांक 13.04.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

सार्वजनिक स्थानो पर धूम्रपान, पान मसाला ,तम्बाकू पीने वाले व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 269 में निर्धारित किया गया है जो व्यक्ति अवैध तरीके या शासन के आदेशो की उपेक्षा पूर्वक कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे उसके अथवा जिसे वह जानता अथवा पहचानता हो उसके जीवन के लिये किसी खतनाक किसी भी बीमारी संक्रमण फैलने की संभावना हो उसे 06 माह के लिये कारावास की सजा हो सकती है। या अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा दोनो सजा हो सकती है। वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है जिसे प्रतिबंधित करना जरूरी है ।

अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) रखते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानो पर धूम्रपान, पान मसाला खाकर इधर–उधर थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना सुनिश्चित करें साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुये पकडे जाने पर सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की नियमो/अधिनियमो इत्यादि के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मथुरा

पृष्ठांकन दिनांक उपरोक्तानुसार 560

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ प्र0 लखनऊ।
2. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा अवलोकनार्थ।
5. नोडल अधिकारी एन0सी0डी0/एन0यू0एच0एम0 मथुरा।
6. वोलंटरी हैल्थ एसोसिएशन उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मथुरा